स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :– कमरा नं. 5012, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

सुरेश चन्द्र शर्मा
महासचिव
9461305426

क्रमांक : राज.वि.से.प./07 दिनांक : 22.04.2026

–: बैठक कार्यवाही विवरण :–

राजस्थान विधि सेवा परिषद की अध्यक्ष महोदया श्रीमती आशा शर्मा की अध्यक्षता में विधि सेवा परिषद की कार्यकारिणी की बैठक आज दिनांक 22.04.2026 को दोपहर 1.30 बजे अध्यक्ष महोदया के कमरा न0 2003 मुख्य भवन सचिवालय में आयोजित की गयी।

बैठक में विचार–विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

1. वर्ष 2026–27 में आयोजित होने वाली उन विधि अधिकारियों की पदोन्नति हेतु अनुभव में छूट की आवश्यकता नहीं है, उन अधिकारियों के सभी पदों की डीपीसी अविलम्ब कराने हेतु तथा जिन पदों पर पदोन्नति हेतु अनुभव में शिथिलता की आवश्यकता है, उस हेतु राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति में 2 वर्ष की छूट अधिसूचना जारी होने के पश्चात् करवायी जावें, साथ ही सहायक विधि परामर्शी से उप विधि परामर्शी के उन अधिकारियों के जिनका अनुभव 2 वर्ष पूर्ण हो चुका है उनके लिए 1 वर्ष के शिथिलन हेतु कार्मिक विभाग को विधि विभाग से अनुशंषा हेतु प्रमुख शासन सचिव महोदय, विधि विभाग को ज्ञापन एवं व्यक्तिगत सम्पर्क करने का निर्णय लिया गया।
2. राजस्थान विधि सेवा परिषद के कोषाध्यक्ष श्री विजय कुमार जैन, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी एवं सह कोषाध्यक्ष श्री अनिल कुमार, सहायक विधि परामर्शी द्वारा दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 31.03.2026 तक परिषद के आय–व्यय का हिसाब कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसका सर्वसम्मति द्वारा अनुमोदन किया गया।
3. राजस्थान विधि सेवा परिषद के सदस्यों के पहचान पत्र विधि विभाग द्वारा जारी करवाये जाने का निर्णय लिया गया और साथ ही यह भी चर्चा का बिन्दु रहा की परिषद के पहचान पत्र में पदनाम भी अंकित हो इस बिन्दु पर विचार–विमर्श किया गया, इस हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि विधि विभाग में अध्यक्ष महोदया द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क कर उपयुक्त निर्णय लिया जाये। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि परिषद के वर्तमान सदस्य को पहचान पत्र निःशुल्क उपलब्ध होगा और जो परिषद का सदस्य नहीं है उसका आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
4. कनिष्ठ विधि अधिकारी के पदोन्नति पश्चात् रिक्त हुए पदों के लिए नई भर्ती हेतु विज्ञापन निकलवाने हेतु आरपीएससी को विधि विभाग से अनुशंषा अविलम्ब भिजवाने बाबत् प्रमुख शासन सचिव महोदय, विधि विभाग को ज्ञापन दिये जाने का निर्णय लिया गया।
5. राजस्थान न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनिवार्य किये गये 3 वर्ष के अनुभव के संबंध में छूट दिये जाने हेतु अध्यक्ष महोदया द्वारा प्रमुख शासन सचिव महोदय, विधि विभाग को ज्ञापन दिये जाने का निर्णय लिया गया।
6. विधि विभाग के विभिन्न पदों हेतु राज्य के समस्त विभागों में लिटीगेशन पॉलिसी के अन्तर्गत नवीन पदों के सृजन हेतु अध्यक्ष महोदया द्वारा प्रमुख शासन सचिव महोदय, विधि विभाग को ज्ञापन दिये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यकारिणी की बैठक सधन्यवाद सम्पंन हुई।

(सुरेश चन्द शर्मा)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद